विवरण 2ख

सं..अ. 2016-17 और ब.अ. 2017-18 के बीच में बड़े अंतरों का विवरण

वर्ष 2017-18 के लिए व्यय का बजट अनुमान संशोधित अनुमान 2016-17 की तुलना में ₹ 1,32,328 करोड़ की निवल वृद्धि दर्शाता है। व्यय की मदें, जहां अन्तर आये हैं, नीचे दर्शायी गई हैः

(करोड़ रुपए)

		सं.अ. 2016-17	ब.अ. 2017-18	अन्तर बचत(-)/ अधिक(+)
1	ब्याज भुगतान	483069	523078	(+)40009
2	रक्षा को छोड़कर पूंजी परिव्यय	162570	183280	(+)20710
3	रक्षा	248005	262390	(+)14385
4	राज्यों को अनुदान और ऋण	293172	307553	(+)14381
5	खाद्य सब्सिडी	135173	145339	(+)10166
6	शिक्षा	32229	36884	(+)4655
7	पुलिस	62407	65576	(+)3169
8	पेंशन	128166	131201	(+)3035
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	14478	16836	(+)2358
10	अन्य सब्सिडियां	125312	126937	(+)1625
11	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान और ऋण	5547	3996	(-)1551
12	अन्य व्यय	324279	343665	(+)19386
कुल व्यय		**2014407**	**2146735**	**(+)132328**

1. वृद्धि बाजार ऋण और अल्प बचत संग्रहणों के बदले जारी प्रतिभूतियों के अंतर्गत अधिक आवश्यकता के कारण है।
2. वृद्धि पुलिस और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग, मेट्रो परियोजना, नाबार्ड में इक्विटी अनुप्रेरण पूंजी व्यय के लिए अधिक आवंटन के कारण है।
3. वृद्धि रक्षा सेवाओं के व्यय के लिए अधिक आवंटन के कारण है।
4. वृद्धि स्थानीय निकायों को अनुदान महिला और बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अनुदान और प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए मुख्यतः अधिक आवंटन के कारण है।
5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी।
6. वृद्धि मुख्यतः भारतीय/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को अधिक परिव्यय प्रदान करने और अन्य स्वायत्त निकायों को अनुदान में वृद्धि के कारण है।
7. वृद्धि आंतरिक सुरक्षा के स्थापना व्यय के लिए अधिक आवश्यकता होने के कारण है।
8. वृद्धि मुख्यतः "रक्षा पेंशन" के अंतर्गत अधिक आवश्यकता और भारत संचार निगम लिमिटेड में आमेलित दूरसंचार विभाग के भूतपूर्व कर्मचारियों को देय पेंशन के कारण है।
9. वृद्धि मुख्यतः राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए अधिक आवंटनों के कारण है।
10. वृद्धि ऋण सहायता कार्यक्रम और खाद्यान्नों का अन्तरा राज्य लाने-ले जाने और एफपीएस मार्जिन किसानों को अल्पावधिक ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अधिक आवश्यकता के कारण है।
11. कमी सीएसटी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर क्षतिपूर्ति में कटौती के कारण है।